न्यायालय प्रथम अपर जिला जज, जौनपुर।
प्रकीर्ण वाद संख्या– 12 / 2015
सीएनआर.नं0–यूपीजेपी. 010023282015
अशोक इण्टर कालेज ––––––––प्रति––––––––उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

14.12.2021

पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुयी। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 16ग पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रार्थना पत्र 16ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में सायल ने बाला–2 कार्यवाही कराकर उसके उपर नोटिसका तामीला करा लिया जबकि उसे उक्त मुकदमें की कोई जानकारी नहीं है। न्यायालय में चस्पा लिस्ट को देखा तो मुकदमें की जानकारी हुयी और पत्रावली के अवलोकन से पता चला कि दिनांक 12.03.2018 को विपक्षी के अनुपस्थिति में मुकदमा एकपक्षीय कार्यवाही में योजित हो गयी। आदेश दिनांक 12.03.2018 के कायम रहने से विपक्षी का नुकसान है। विपक्षी ने जानबूझ कर न्यायालय में उपस्थित होने की गलती नहीं किया है। उपरोक्त आधारों पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2018 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सायल की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद के गुणदोष पर निस्तारण हेतु प्रतिवादी को एक अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र 16ग न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 16ग स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.03.2018 अपास्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक–24.01.2022 को पेश हो।

(अरविन्द कुमार श्रीवास्तव)
प्रथम अपर जिला जज,जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 5859

Digitally signed by Arvind Kumar Srivastava
Date: 2021.12.14 16:34:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court